Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(58)

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल (म.प्र.)

पुनर्स्थापन - 2701/2018/भोपाल/भू.रा

प्रकरण क्र. PBR/निग./भोपाल/भू.रा./2017/4080

अतुल धूपर एवं एक अन्य ....**आवेदकगण**

"विरूद्ध"

श्रीमती जेठीबाई व अन्य ....**उत्तरदातागण**

आवेदन अभि. श्री सी.कुम. विश्वकर्मा द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत 25/4/18

:: आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ::

उक्त प्रकरण को नंबर पर लेने बाबत् ::

महोदय,

सेवा में आवेदकगण की और से निम्नलिखित निवेदन हैं कि :-

01. यह कि आवेदकगण द्वारा उक्त प्रकरण अपने अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित के माध्यम से राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रस्तुत किया था जिसमें सुनवाई चल रही थी लेकिन प्रकरण को भोपाल केम्प में सुनवाई हेतु भेज दिया गया था ।

02. यह कि उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 26.03.2018 नियत कर भोपाल केम्प में भेजने की जानकारी आवेदकगण के अधिवक्ता को नही दी तथा आवेदकगण के अधिवक्ता ग्वालियर निवासी हैं वह भी किसी कारणवश अथवा जानकारी के अभाव में भोपाल केम्प में उपस्थित नही हुये ।

03. यह कि जैसी की विधि हैं कि अधिवक्ता की गलती के कारण पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता हैं ।

04. यह कि दिनांक 26.03.2018 की पेशी पर आवेदकगण की अनुपस्थिति साकारण हैं जो न्यायहित में क्षमा योग्य हैं ।

05. यह कि आवेदकगण को भोपाल केम्प में पेशी दिनांक 26.03.2018 की जानकारी अन्य किसी भी माध्यम से नही हुई थी ।

06. यह कि उक्त आवेदन अंदरम्याद प्रस्तुत हैं ।

07. यह कि आवेदन के पक्षसमर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत हैं ।

:: प्रार्थना ::

अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना हैं कि न्यायहित में आवेदकगण की दिनांक 26.03.2018 की अनुपस्थिति साकारण होने से क्षमा करते हुये प्रस्तुत आवेदन न्यायहित में स्वीकार कर उक्त प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने की कृपा करें जो न्यायोचित होगा ।

भोपाल दिनांक 23/04/2018

आवेदकगण

द्वारा -अधिवक्ता

यतीन्द्र कुमार गुप्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्स्थापन/2701/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	आवेदकगण की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक एवं अनावेदिका क्रमांक 1 के वारिसान (अ) की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक मेमों पर उपस्थित । उन्हें पुनर्स्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया । पुनर्स्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्र.पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4080 सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह पुनर्स्थापन का प्रकरण समाप्त किया जाता है ।	